

System officer

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक :-

10

दिनांक :- 30.05.2026

:: कार्यालय आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि अजमेर न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित **183 बीएनएसएस (धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अन्तर्गत लेखबद्ध किए जाने वाले बयानों से संबंधित** कार्य निम्न सूची में वर्णित अनुसार प्रथम लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा, प्रथम लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता में द्वितीय लिंक न्यायालय पीठासीन अधिकारी एवं द्वितीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता में तृतीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित किए जावेंगे :-

क्रम संख्या	आरक्षी केन्द्र का नाम	क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय का नाम	प्रथम लिंक न्यायालय	द्वितीय लिंक न्यायालय	तृतीय लिंक न्यायालय
I	II	III	IV	V	VI
01	क्लॉकटावर	CJM, AJMER	JM-01, AJMER	JM-05, AJMER	ACJM (RT), AJMER
02	दरगाह	CJM, AJMER	JM-04, AJMER	JM-02, AJMER	ACJM (RT), AJMER
03	कोतवाली	ACJM-1, AJMER	JM-(North) AJMER	DM, AJMER	ACJM (PCPCNDT), AJMER
04	सिविल लाईन्स	ACJM-3, AJMER	JM-03, AJMER	JM-06, AJMER	ACJM (PCPCNDT), AJMER
05	गेगल	JM-2, AJMER	JM-(South) AJMER	JM-(EAST) AJMER	ACJM (PCPCNDT), AJMER
06	रामगंज	JM-5, AJMER	JM-06, AJMER	JM-04, AJMER	ACJM-01, AJMER
07	अलवर गेट	JM-6, AJMER	JM-05, AJMER	JM-03, AJMER	ACJM-01, AJMER
08	गंज	ACJM-02, AJMER	DM, AJMER	JM-(South) AJMER	ACJM-01, AJMER
09	कृष्णगंज	JM-03, AJMER	JM-02, AJMER	JM-01, AJMER	ACJM-03, AJMER
10	आदर्शनगर	JM-04, AJMER	NI-01, AJMER	JM-(North) AJMER	ACJM-03, AJMER
11	महिला थाना	ACJM (PCPCNDT), AJMER	NI-02, AJMER	JM-(EAST) AJMER	ACJM-03, AJMER
12	रेल्वे कोर्ट अजमेर की क्षेत्राधिकारिता वाले समस्त जी.आर.पी. थाने	ACJM (RAILWAY) AJMER	NI-03, AJMER	NI-04, AJMER	ACJM-02, AJMER
13	हरिभाऊ उपाध्याय नगर, अजमेर	JM-1, AJMER	NI-01, AJMER	NI-02, AJMER	ACJM (RT), AJMER
14	पुष्कर	ACJM PUSHKAR	JM-(South) AJMER	JM-(West) AJMER	ACJM-02, AJMER
15	पीसांगन	Gram Nayayalay Pisagan & JM Pushkar	JM-01, AJMER	NI-01, AJMER	ACJM-02, AJMER

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

नोट :-

01. यह आदेश दिनांक 01.06.2026 से प्रभावी रहेगा। इससे पूर्व न्यायालयों में पेशशुदा 183 बीएनएसएस (धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के प्रार्थना-पत्र की कार्यवाही पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार संबंधित न्यायालयों के द्वारा ही पूर्ण की जावेगी।
02. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों के 183 बीएनएसएस (धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेश दिनांक 31.05.2026 तक ही प्रभावी रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता से आदेश प्राप्त किए जायेंगे।
03. अजमेर मुख्यालय स्थित न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित माल एवं मुलजिम की कार्यवाही शिनाख्तगी की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, अजमेर एवं उसकी अनुपस्थिति में तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा संपादित की जाएगी।
04. यदि किसी प्रकरण में गवाह की उम्र-18 वर्ष से कम हो व गवाह Child Care Institutions Ajmer में दाखिल हो, उनके बयान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक Gen/XV/45/2006/committee/655 dated 21.02.2023 की पालना में 183 बीएनएसएस (धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के बयान लेखबद्ध करवाए जाने हेतु आदेश पृथक से अद्योहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त किए जाएंगे।
05. किसी भी पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से जिस भी लिंक अधिकारी के समक्ष 183 बीएनएसएस (धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता) हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उसी लिंक न्यायालय द्वारा उक्त पेशशुदा प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण तक की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
06. उपरोक्त सभी आरक्षी केन्द्रों पर जल्दशुदा माल की इन्वेन्ट्री बाबत एवं मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता से आदेश पृथक से प्राप्त किए जावेंगे।

(समन कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।

क्रमांक :- 1414-1442

दिनांक :- 30.05.2026

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. पीठासीन अधिकारी, समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर न्यायक्षेत्र।
03. पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
04. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर।
05. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर।
06. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि अजमेर जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को जरिये वायरलेस सूचित किया जावें।
07. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की Website पर upload करें।
08. कार्यालय प्रति।

(समन कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।